राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.10(32)न्याय/2016/पार्ट–।। जयपुर, दिनांक 11 OCT 2022

–:: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ::–

21 कोर्ट कैम्पस में प्रथम फेज के अन्तर्गत ई–सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु लेखामद 2014–00–105–19–01–62 कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (राज्यनिधि) में राशि रू.40.32 लाख की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नानुसार **उपलब्ध बजट प्रावधान** से दी जाती हैः–

One Time Cost

S.No.	Item	Cost (in Rs.)
1	Desktop Computer	40,000/- each
2	Scanner	40,000/- each
3	LAN and Internet (Installation Rs. 10,000)	10,000/- each
	Total	**90,000/- each**
	Grand Total	**90,000x21=18,90,000**

Recurring Cost

S.No.	Item	Cost (in Rs.)
1	Outsourced Manpower	15,000/- each per month
2	Internet Charges	2,000/- per month
	Total	**17,000/- per month**

इस प्रकार One Time Cost Rs. 18,90,000/- एवं Recurring Cost चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6 माह हेतु 17,000/- (17,000x6x21=21,42,000/-) कुल राशि रू. 40,32,000/- की स्वीकृति दी जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त व्यय–5 विभाग की आई.डी. संख्या 102205429 दिनांक 04.10.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्रांकः–III/(1)B/2022-23/ई–कोर्ट प्रो./1294 दिनांक 03.05.2022 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)/(व्यय–5) शासन सचिवालय,जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

11/10

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव